रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2003/माघ 28, 1924
No. 159] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2003/MAGHA 28, 1924

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

**का.आ. 188(अ).**–केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 463 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 1989 के अधीन जारी किए गए जनरल सर्विस इलेक्ट्रिक लैम्पस ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश, 1989 को और उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं0 सा.का.नि 83 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1993 के अधीन जारी किए गए विद्युत तार, केबिल, साधित्र और उपसाधन ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश, 1993 को सिवाय उन बातों के विखण्डित करती है जो ऐसे विखण्डन के पूर्व उक्त आदेशों के अधीन की गई थी या जिनका करने से लोप किया गया था ।

[फा. सं. 6(9)/2001-एलईआई]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Industrial Policy and Promotion)

### ORDER

New Delhi, the 17th February, 2003

S.O..........(E)- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the General Service Electric Lamps (Quality Control) Order,

1989 issued under Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Notification No. G.S.R. 463 (E) dated 24th April, 1989 and the Electrical Wires, Cables, Appliances and Accessories (Quality Control) Order, 1993 issued under Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Notification No. G.S.R. 83 (E) dated 24th February, 1993 with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done under the said Orders before such rescission.

[F. No. 6(9)/2001-LEI]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

**का.आ. 189(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत, तार, केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 है ।

(2) अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 से 7 तक के अंतर्गत आने वाली मदों के संबंध में, यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा । अनुसूची के क्रम संख्यांक 8 से 24 तक के अंतर्गत आने वाली मदों के संबंध में यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं - इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम " से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है ;

ख) " समुचित प्राधिकारी" से कोई ऐसा प्राधिकारी, जो भारत सरकार के किसी अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या कोई ऐसा अधिकारी जो किसी राज्य सरकार के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की पंक्ति से नीचे का न हो, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाए, अभिप्रेत है ;

(ग) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(घ) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संबंध में, "व्यवहारी" से कोई ऐसा व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, किन्हीं ऐसे विद्युत तारों, केबिलों साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का, चाहे नकद अथवा आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय करने, विक्रय करने, प्रदाय करने या वितरण करने का कारबार करता है,

(ङ) "विद्युत तार केबिल, साधित्र, संरक्षण युक्ति और उपसाधन" से अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत हैं ;

(च) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संबंध में, "विनिर्माता" से ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है जो किन्हीं ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का उत्पादन करता है, उन्हें बनाता है, उनका समुच्चय या विनिर्माण करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भी है जो यह दावा करता है कि ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब द्वारा उत्पादन किया गया है, उन्हें बनाया गया है, उनका समुच्चय या विनिर्माण किया गया है ;

(छ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संबंध में "विनिर्दिष्ट मानक" से ऐसे मानक अभिप्रेत हैं जो अनुसूची के स्तंभ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हों, जो प्रवृत्त हों ;

(झ) "राज्य सरकार" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;

(ञ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में है ।

3. विनिर्माण भंडारकरण, विक्रय और वितरण आदि के बारे में प्रतिषेध - (1) कोई व्यक्ति स्वंय या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का, जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है और प्रमाणीकरण चिन्ह अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने पर मानक ब्यूरो चिन्ह नहीं रखते हैं, विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा ;

परन्तु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होगी, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देश के अनुरूप हैं और ऐसा कोई विनिर्देश किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होगा ।

(2) ऐसे मानकच्युत या दोषपूर्ण विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों या कच्ची सामग्री अथवा संघटकों को, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है, विनिर्माता द्वारा तीन मास के भीतर उपयोग न किए जाने सकने वाले रूप में विरूपित और रद्दी के रूप में ठिकाने लगाया जाएगा ।

(4) प्रमाणीकरण के लिए बाध्यता - (1) विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के लिए सभी विनिर्माता ब्यूरो को, इस आदेश के जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिन्ह के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए, यदि पहले से अभिप्राप्त न की गई हो तो, एक आवेदन करेंगे ।

(2) मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी अधिनियम और नियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो स्वंय या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मद 8 से मद 14 तक में से किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है, तो वह उसका नियमित उत्पादन, मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो से विधिमान्य अनुज्ञप्ति करने के पश्चात ही, प्रारम्भ करेगा ।

(4) अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित एक या एक से अधिक विद्युत तारों ,केबिलों, साधित्र, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के लिए किसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या ब्यूरो द्वारा उसके रद्दकरण के परिणामस्वरूप समुचित प्राधिकारी को भी ब्यूरो द्वारा सूचित किया जाएगा ।

5. जानकारी मंगाने की शक्ति आदि - (1) समुचित प्राधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से -

(क) किसी व्यक्ति से, जो ऐसे किन्हीं विद्युत तारों ,केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किन्हीं विद्युत तारों ,केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण , विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे, अथवा

(ख) ऐसी किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों और अन्य विद्युत तारों ,केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के संघटकों का, जो ऐसे विद्युत तारों ,केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए हों या उससे संबंधित या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हों, निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा,

(ग) किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा और ऐसे किन्हीं विद्युत तारों ,केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों का अभिग्रहण कर सकेगा जिनके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा उक्त विद्युत तार, केबिल, साधित्र, संरक्षण युक्तियां और उपसाधन विनिर्दिष्ट मानक के नहीं हैं ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के उपबंध, यावतशक्य, इस खण्ड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

6 नमूनों का परीक्षण - मानक चिन्ह रखने वाले किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के ऐसे नमूनों का, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए हो कि वे विनिर्दिष्ट मानक के हैं, परीक्षण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ऐसी रीति से, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा ।

7 विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को निदेश जारी करने की शक्तियां - समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इस अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों से संगत हों, जो इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

8. निदेशों का अनुपालन - प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्हीं विद्युत तारों, केबिलों, साधित्रों, संरक्षण युक्तियों और उपसाधनों के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, जिसको इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा ।

9. जानकारी देने की बाध्यता - कोई विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से खण्ड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी जानकारी को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके कब्जे या नियंत्रण में रखी गई किसी बही या दस्तावेज या किसी विद्युत तार, केबिल, साधित्र, संरक्षण युक्ति और उपसाधन को न तो छिपाएगा, न विकृत या विरूपित करेगा।

## अनुसूची

### (खण्ड 2 (ङ) देखिए)

| क्रम संख्या | मद | मानक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत निमज्जन जल तापक | (भा.मा): 302-2-201 (1992) |
| 2. | घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत इस्त्री | (भा.मा): 302-2-3 (1992) |
| 3. | घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत स्टोव | (भा.मा): 302-2-202 (1992) |
| 4. | घरेलू और वैसे ही विद्युत साधित्रों की सुरक्षा-विद्युत रेडिएटर | (भा.मा): 302-2-30 (1992) |
| 5. | घरेलू और वैसे ही प्रयोजनों के लिए स्विचें | (भा.मा): 3854: 1988 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | घरेलू और वैसे ही प्रयोजनों के लिए 2 एम्पियर स्विच | (भा.मा): 4949: 1968 |
| 7. | टंगस्टन फिलामेन्ट साधारण सर्विस लैम्प | (भा.मा): 418 |
| 8. | साधारण प्रदीपन सेवाओं के लिए स्व-धारा स्थिरक लैम्प भाग I सुरक्षा अपेक्षाएं | (भा.मा): 15111 (भाग-1) |
| 9. | साधारण प्रदीपन सेवाओं के लिए स्वतः धारा स्थिरक लैंप भाग-2 निष्पादन अपेक्षाएं | (भा.मा): 15111 (भाग-2) |
| 10. | विद्युत उपसाधन घरेलू और वैसे ही संस्थापनों के लिए अतिविद्युत धारा संरक्षण के लिए परिपथ विच्छेदक | (भा.मा): 8828 |
| 11. | घरेलू और वैसे ही उपयोगों के लिए अवशिष्ट विद्युत धारा प्रचालित परिपथ विच्छेदक (भाग-1) आंतरिक अतिविद्युत धारा संरक्षण के बिना परिपथ विच्छेदक (आर.सी.सी.बी.) | (भा.मा): 12640 (पी.टी.-1) |
| 12. | घरेलू और वैसे ही उपयोगों के लिए अवशिष्ट विद्युत धारा प्रचालित परिपथ विच्छेदक (भाग-2): आंतरिक अतिविद्युत धारा संरक्षण सहित परिपथ विच्छेदक (आर.सी.बी.ओ.) | (भा.मा): 12640 (पी.टी.-2) |
| 13. | 1000 वोल्ट ए सी या 1500 वोल्ट डी सी (भाग-2) से अनधिक वोल्टता के लिए लघु वोल्टता फ्यूज प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए | (भा.मा): 13703 (भाग-2) |
| 14. | उच्च वोल्टता फ्यूज (भाग-1) विद्युत धारा सीमन फ्यूज | (भा.मा): 9385 (भाग-1) |
| 15. | उच्च वोल्टता फ्यूज (भाग-2): बहिष्करण समरूप फ्यूज | (भा.मा): 9385 (भाग-2) |
| 16. | कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर (भाग-2) परिपथ विच्छेदक | (भा.मा): 13947 (भाग-2) |
| 17. | कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर (भाग-3) स्विच, डिस-कनेक्टर, स्विच, डिसकनेक्टर और फ्यूज संयोजन यूनिटें | (भा.मा): 13947 (भाग-3) |
| 18. | कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर (भाग-4) सम्पर्कक और मोटर स्टार्टर | (भा.मा): 13947 (भाग-4) |
| 19. | कम वोल्टता स्विच गियर और नियंत्रण गियर विनिर्देश (भाग-5) नियंत्रण परिपथ युक्तियां तथा स्विचिंग अवयव | (भा.मा): 13947 (भाग-5) |
| 20. | 1100 वोल्टता तक या इसको सम्मिलित करके कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधी केबिलें | भा.मा. 694 |
| 21. | 1100 वोल्टता तक या इसको सम्मिलित करके कार्यकारी वोल्टता के लिए इलैस्टोमर रोधी केबिल (भाग-1) | (भा.मा): 9968 (भाग-1) |
| 22. | ए सी वाट- घंटा मीटर मापी वर्ग 0.5 और 2 (कि.वाट घंटा) | भा.मा. 13010 |

| | | |
|---|---|---|
| 23. | ए सी स्थैतिक वाट घंटा मापी वर्ग 1 और 2 (कि. वाट घंटा) | भा.मा. 13779 |
| 24. | ए सी स्थैतिक ट्रांसफार्मर प्रचालित वाट घंटा और वी ए आर- घंटा मापी वर्ग 0.2 एस और 0.5 एस | भा.मा. 14697 |

[फा. सं. 6(9)/2001-एलईआई]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 17th February, 2003

S.O. 189(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement - (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003.

(2) In respect of items covered under serial numbers 1 to 7 of the Schedule, this Order shall come into force with immediate effect. In respect of items covered under serial numbers 8 to 24 of the Schedule, this Order shall come into force after a period of six months from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In this Order, unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(b) "Appropriate Authority" means any officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government as may be appointed by the Central Government or the State Government by a notification published in the Official Gazette to implement the provisions of this Order;

(c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;

(d) "dealer", in relation to Electrical Wires, Cables, Appliances, Protection Devices and Accessories, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family which, carries on, directly or otherwise,

the business of buying, selling, supplying or distributing any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(e) "electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories" mean the items specified in column (2) of the Schedule;

(f) "manufacturer", in relation to electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family which produces, makes, assembles or manufactures any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family which claims such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family, as the case may be;

(g) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;

(h) "Specified Standard" in relation to electrical wires, cables, appliances and protection devices and accessories means the standard as specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule which is in force.

(i) "State Government" includes a Union Territory Administration also.

(j) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc;- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories, which do not conform to the Specified Standards and do not bear Standard Mark of the Bureau on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories required for export, which conform to any specification required by the foreign buyer and such specification shall not in any case be less than the Specified Standard.

(2) The sub-standard or defective electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories or raw-material or components, which do not conform to the Specified Standard shall be deformed by the manufacturer beyond use and disposed of as scrap within three months.

4. Obligation for Certification - (1) All manufacturers of electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark, within forty five days of the issue of this Order, if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made thereunder.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories any of the items 8 to 24 specified in column (2) of the Schedule shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau for the use of Standard Mark.

(4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau for one or more of the electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories mentioned in column (2) of the Schedule, the Appropriate Authority shall also be informed of the same by the Bureau.

5. Power to call for information, etc. - (1) The Appropriate Authority may, with a view to securing compliance with this Order-

(a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories or any components of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories.

(b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories or the components of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any such electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories.

(c) enter and search any premises and seize any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories are not of the Specified Standard; and

(2) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizures shall so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

6. Testing of samples - Samples of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the Specified Standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

7. Power to issue direction to manufactures and dealers or sellers - The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers or sellers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.

8. Compliance of directions - Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any electrical wires, cables, appliances, protection devices and accessories to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.

9. Obligation to furnish information - No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any electrical

wires, cables, appliances, protection devices and accessories kept by, or in the possession or control of, such person.

## SCHEDULE

(See clause 2 (e))

| S.No. (1) | Item (2) | Standard (3) |
|---|---|---|
| 1. | Safety of household and similar electrical appliances – Electrical immersion water heaters. | IS: 302-2-201 (1992) |
| 2. | Safety of household and similar electrical appliances – Electric Iron. | IS: 302-2-3 (1992) |
| 3. | Safety of household and similar electrical appliances – Electric stoves. | IS: 302-2-202 (1992) |
| 4. | Safety of household and similar electrical appliances – Electric radiators. | IS: 302-2-30 (1992) |
| 5. | Switches for domestic and similar purposes. | IS: 3854: 1988 |
| 6. | 2 Amp switches for domestic and similar purposes. | IS: 4949: 1968 |
| 7. | Tungsten Filament General Services Lamps | IS 418 |
| 8. | Self ballasted lamps for general lighting services: Part 1 safety requirements. | IS 15111 (Pt.1) |
| 9. | Self ballasted lamps for general lighting services: Part 2 Performance requirements. | IS 15111 (Pt.2) |
| 10. | Electrical Accessories - Circuit Breakers for over current protection for household and similar installations | IS 8828 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Residual current operated circuit breakers for household and similar uses (Pt.1) : Circuit breakers without integral overcurrent protection (RCCBs) | IS 12640 (Pt.1) |
| 12. | Residual current operated circuit breakers for household and similar uses – (Pt.2) : Circuit breakers with integral overcurrent protection (RCVOs) | IS 12640 (Pt.2) |
| 13. | Low voltage fuses for voltages not exceeding 1000 V AC or 1500 V DC (Pt. 2) fuses for use by authorised persons | IS 13703 (Pt.2) |
| 14. | High voltage fuses (Pt.1) : current limiting fuses | IS 9385 (Pt.1) |
| 15. | High voltage fuses (Pt.2): expulsion similar fuses | IS 9385 (Pt.2) |
| 16. | Low voltage switchgear & control gear- (Pt.2) circuit breakers | IS 13947 (Pt.2) |
| 17. | Low voltage switchgear & control gear – (Pt.3) switches, disconnectors, switch disconnectors and fuse combination units. | IS 13947 (Pt.3) |
| 18. | Low voltage switchgear & control gear- (Pt.4) contactors and motor starters | IS 13947 (Pt.4) |
| 19. | Low voltage switchgear & control gear- (Pt.5) control circuit devices & switching elements | IS 13947 (Pt.5) |
| 20. | PVC insulated cables for working Voltages upto and including 1100 V | IS 694 |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | Elastomer insulated cables (Pt.1) : for working voltages upto and including 1100 V | IS 9968 (Pt.1) |
| 22. | AC Watt-hour meters, class 0.5, 1 & 2 (KWH) | IS 13010 |
| 23. | AC static watt-hour meters, class 1 &2 (KWH) | IS 13779 |
| 24. | AC static transformer operated watt-hour and VAR – hour meters, class 0.2S & 0.5S | IS 14697 |

[F No. 6(9)/2001-LEI]
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

का.आ. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 641 (अ) तारीख 19 जुलाई, 1995 के अधीन जारी किए गए सीमेन्ट ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश, 1955 को तुरन्त प्रभाव से, सिवाय उन बातों के विखण्डित करती है, जो ऐसे विखण्डन के पूर्व उक्त आदेशों के अधीन की गई थी या जिनका करने से लोप किया गया था ।

[फा. सं. 13(2)/2000-सीमेंट II]
एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

## ORDER

New Delhi, the 17th February, 2003

S.O. 190(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Cement (Quality Control) Order, 1955, issued under Ministry of Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) Notification No.641(E) dated 19th July, 1995 with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done under the Order before such rescission.

[F No. 13(2)/2000-Cem. II]
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003

**का.आ. 191(अ).**– केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं-- इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है ;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से कोई ऐसा प्राधिकरी, जो भारत सरकार के किसी अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या कोई ऐसा अधिकारी जो किसी राज्य सरकार के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की पंक्ति से नीचे का न हो, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाए, अभिप्रेत है ;

(ग) "ब्यूरो" से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(घ) "सीमेंट" से भारत में विनिर्मित या विक्रीत सीमेंट की कोई किस्म अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत स्फोट भट्टी धातुमल सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, त्वरित दृढ़ीकारी पोर्टलैंड सीमेंट, सफेद पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट,

सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, निम्नताप पोर्टलैंड सीमेंट, उच्च प्रबलता सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, रेल स्लीपर्स, विनिर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, चिनाई सीमेंट, आयल वेल सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट या सीमेंट की कोई अन्य किस्म सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे ;

(ङ) सीमेंट के संबंध में, "व्यवहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा सीमेंट का, चाहे नकद अथवा आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय करने, विक्रय करने, प्रदाय करने या वितरण करने का कारबार करता है ;

(च) सीमेंट के संबंध में "विनिर्माता" से ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है, जो सीमेंट का उत्पादन करता है, उसे बनाता है, या उसका विनिर्माण करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भी है, जो यह दावा करता है कि ऐसी सीमेंट का, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब द्वारा उत्पादन किया गया है, उन्हें बनाया गया है, उनका समुच्चय या विनिर्माण किया गया है ;

(छ) "विनिर्दिष्ट मानक" से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित सीमेंट का भारतीय मानक विनिर्देश अभिप्रेत है ;

(ज) "राज्य सरकार" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;

(झ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. विनिर्माण, विक्रय और वितरण, आदि के बारे में प्रतिषेध— (1) कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से सीमेंट का, जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है और जिस पर मानक ब्यूरो चिह्न नहीं है, विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार कोई आवेदन किए जाने पर, किसी व्यक्ति को, मानक चिह्न के बिना, एक सौ पचास दिन से अनधिक की अवधि के लिए सीमेंट का विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडार, विक्रय या वितरण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नियमित मानक चिह्न की मंजूरी इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के पास लंबित है :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार कोई आवेदन किए जाने पर, मानके चिह्न से छूट दे सकेगी, यदि यह समाधान हो जाता है कि विनिर्मित और भेजा गया सीमेंट निर्यात के प्रयोजन के लिए और विदेशी मानकों के अनुसार या क्रेता के विनिर्देशों के अनुसार है और भारतीय मानकों की तत्समान अपेक्षाओं के समान नहीं है ।

(2) वह सीमेंट जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उसे एक मास के भीतर पूर्णतः नष्ट कर दिया जाएगा ।

4. प्रमाणीकरण के लिए बाध्यता- (1) सीमेंट के विनिर्माता ब्यूरो को, इस आदेश के जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए, यदि पहले से अभिप्राप्त न की गई हो तो, एक आवेदन करेंगे ;

(2) मानक चिह्न के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगी ;

(3) जब कोई व्यक्ति जो स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से सीमेंट का विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है, तो वह उसका उत्पादन आरंभ होने से पूर्व ब्यूरो का आवेदन करेगा ;

(4) एक या एक से अधिक सीमेंट के विनिर्माण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या ब्यूरो द्वारा किसी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित जानकारी ब्यूरो द्वारा तुरन्त समुचित प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

5. जानकारी, आदि मांगने की शक्ति-- इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से समुचित प्राधिकारी-

(1) किसी व्यक्ति से, जो सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किन्हीं विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे सीमेंट के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(2) ऐसी किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों और अन्य सीमेंट का, जो ऐसी सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए हों या उससे संबंधित या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हों, निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा ;

(3) किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा और उस सीमेंट का अभिग्रहण कर सकेगा जिनके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा उक्त सीमेंट विहित मानक के नहीं हैं ; और

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, यावतशक्य, इस खंड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

6. नमूनों का परीक्षण- मानक चिह्न रखने वाले सीमेंट के ऐसे नमूनों का, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए लिए गए हों कि वे विनिर्दिष्ट मानक के हैं, परीक्षण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ऐसी रीति से, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा ।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को निदेश जारी करने की शक्तियां-समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इस अधिनियम या इस आदेश के उपबंधों से संगत हो, जो इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो ।

8. निदेशों का अनुपालन- प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्हीं सीमेंट के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, जिसको इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

9. सूचना देने की बाध्यता-कोई विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से खंड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक कोई जानकारी मांगे जाने पर उसे देने से इंकार नहीं करेगा या उसके द्वारा रखे गए या उससे संबंधित या उसके नियंत्रण के अधीन किन्हीं बहियों या दस्तावेजों या किन्हीं सीमेंट को न तो छिपाएगा, न नष्ट करेगा, न ही विकृत करेगा या उन्हें विरूपित नहींकरेगा ।

[फा. सं. 13(2)/2000-सीमेंट II]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 17th February, 2003

S.O. 191(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short Title and commencement:- (1) This Order may be called the Cement (Quality Control) Order, 2003.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In this Order, unless the context otherwise requires: -

   (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

   (b) "Appropriate Authority" means an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State Government as may be appointed by the Central Government or the State Government by a notification published in the Official Gazette to implement the provisions of this Order;

   (c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;

   (d) "cement" means any variety of cement manufactured or sold in India and includes blast furnace slag cement, portland pozzolana cement, rapid hardening portland cement, white portland cement, hydrophobic portland cement, ordinary portland cement, low heat portland cement, high strength

ordinary porland cement, cement used for the manufacture of railway sleepers, masonry cement, oil well cement, super sulphated cement or any other variety of cement which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify for the purposes of this Order;

(c) "dealer" in relation to cement, means a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which, carries on directly or otherwise the business of buying, selling, supplying or distributing cement, whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration of other valuable consideration;

(f) "manufacturer" in relation to cement, means a person who or a firm or Hindu Undivided Family which, produces, makes or manufactures cement and includes a person who, or a firm or Hindu Undivided Family which, claims such cement to be produced, made or manufactured by any such person or firm or Hindu Undivided Family, as the case may be;

(g) "Specified Standard" means the Indian Standard Specification of cement prescribed by the Bureau of Indian Standards;

(h) "State Government", includes a Union Territory Administration also;

(i) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, sale, distribution etc:- (1) No person shall himself or by any person on his behalf, manufacture or store for sale, sell or distribute cement which does not conform to the Specified Standard and which do not bear the Standard Mark:

Provided that the Central Government may, on an application made, permit any person to manufacture or store for sale, or sell or distribute cement without Standard Mark for a period of not exceeding one hundred and fifty days, if it is satisfied that the grant of regular Standard Mark is pending with the authorities under the Act:

Provided further that the Central Government may, on an application made, grant exemption from Standard Mark, if it is satisfied that the cement manufactured and dispatched is for export purpose and is as per the Overseas Standards or as per Buyer's Specifications and do not coincide with the corresponding requirements of the Indian Standards.

(2) The cement which do not conform to the Specified Standard shall be destroyed immediately within a month.

4. Obligation for Certification:- (1) the manufacturer of cement shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark within forty five days of the issue of this Order, if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture cement, he shall make an application to the Bureau before the commencement of production.

(4) Information relating to expiry or cancellation of any licence or rejection of application for grant of licence by the Bureau for manufacture of one or more of the cement shall be sent to the Appropriate Authority immediately by the Bureau.

5. Power to call for information etc. :- The Appropriate Authority may, with a view to secure compliance with this Order:-

(1) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement to give such information as it deems necessary in relation to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of cement for the implementation of this Order or require any such person to furnish to it samples of such cement;

(2) inspect or cause to be inspected any books or other documents or cement kept by or belonging to or in possession or under the control of any

person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of such cement;

(3) enter and search any premises and seize cement in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been made or the said cement is not of the prescribed standard; and

(4) the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, applied to searches and seizures under this clause.

6. Testing of samples:- Samples of cement bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the Specified Standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.

7. Power to issue direction to manufacturers and dealers or sellers:- the Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers or sellers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.

8. Compliance of directions:- Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any cement, to whom any direction is issued under this Order shall comply with such directions.

9. Obligation to furnish information:- No manufacturers or dealers shall, with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any cement kept by, or in the possession or control of such person.

F No 13(2)/2000-Cem III
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2004/माघ 16, 1925
No. 136] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2004/MAGHA 16, 1925

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2004

का.आ. 165(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 189(अ), दिनांक 17 फरवरी, 2003 में एतद्द्वारा संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 8, 9 और 13 से 19 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लोपित मानी जाएंगी।

[फा. सं. 6(9)/2001-एलईआई]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना दिनांक 17 फरवरी, 2003 के का.आ. 189(अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में जारी की गई थी।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2004

**S.O. 165(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, namely :—

2. In the Schedule of the said notification, serial numbers 8, 9 and 13 to 19 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 6(9)/2001-LEI]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) vide number S.O. 189(E) dated the 17th February, 2003.

399 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2005/भाद्र 1, 1927
No. 883] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2005/BHADRA 1, 1927

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2005

का.आ. 1172(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के आदेश संख्या का.आ. 189 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत तार, केबल साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अठारह मास पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. विद्युत तार, केबल, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 में क्रम संख्या 7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, नामत: :—

| क्रम संख्या | मद | मानक |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 8 | सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए सैल्फ बैलास्टिड लैम्प : भाग 1 सुरक्षा आवश्यकताएं। | आईएस 15111 (भाग-1) |
| 9 | सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए सैल्फ बैलास्टिड लैम्प : भाग 2 कार्यनिष्पादन आवश्यकताएं। | आईएस 15111 (भाग-2) |

टिप्पण :—मूल आदेश, आदेश संख्या का.आ. 189(अ), तारीख 17 फरवरी, 2003 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. 165 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. 6(9)/2001-एल.ई.आई.]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

**ORDER**

New Delhi, the 22nd August, 2005

**S.O. 1172(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2005.

(2) It shall come into force after eighteen months from the date of its publications in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, after serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted namely :—

| Sl. No. | Item | Standard |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| (8) | Self ballasted lamps for general lighting services : Part 1 safety requirements. | IS 15111 (Pt. 1) |
| (9) | Self ballasted lamps for general lighting services : Part 2 performance requirements. | IS 15111 (Pt. 2) |

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 189(E) dated the 17th February, 2003 and subsequently amended *vide* S.O. 165(E), dated 5th February, 2004.

[F. No. 6(9)/2001-LEI]

N.N. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2009/माघ 30, 1930
No. 322] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2009/MAGHA 30, 1930

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2009

**का.आ. 512(अ).**—केन्द्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से विचार-विमर्श करने के पश्चात् इलैक्ट्रिकल वायर्स, केबल, उपकरण तथा संरक्षण डिवाइसेस तथा सहायक सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: :—

1. (1) इस आदेश को इलैक्ट्रिकल वायर्स, केबल, उपकरण तथा संरक्षण डिवाइसेस तथा सहायक सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. अनुसूची में इलैक्ट्रिकल वायर्स, केबल, उपकरण तथा संरक्षण डिवाइसेस तथा सहायक सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003, सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए सैल्फ बैलास्टिड लैम्प संबंधी क्रम संख्या 9 में कॉलम (2) के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :— बैलास्ट तथा लैम्प के सम्मिश्रण के विद्युत कारक का मूल्य 1 जनवरी, 2010 से न्यूनतम 0.85 होगा।"

[फा. सं. 6(9)2001-एलईआई]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मुख्य आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ.189(अ), द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 5 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 165(अ) तथा दिनांक 23 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1172(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

### ORDER

New Delhi, the 19th February, 2009

**S.O. 512(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2009.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003 in the Schedule, in serial number 9 relating to self ballasted lamps for general lighting services, after the existing entry under column (2), the following Note shall be inserted, namely :—

"Note :— The value of power factor of the combination of the ballast and the lamp shall be 0.85 minimum with effect from the 1st day of January, 2010."

[F. No. 6(9)2001-LEI]

N.N. PARSAD, Jt. Secy.

Note :— The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 165(E), dated the 5th February, 2004 and S.O. 1172(E), dated the 23rd August, 2005.

668 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1217] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2009/श्रावण 16, 1931

No. 1217] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2009/SRAVANA 16, 1931

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

**का.आ. 2058(अ).**—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से, विद्युत वायर, केबल, उपकरण एवं संरक्षण उपकरण तथा सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः :—

1. (1) इस आदेश को विद्युत वायर, केबल, उपकरण एवं संरक्षण उपकरण तथा सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2009 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से यह लागू होगा।

2. विद्युत वायर, केबल, उपकरण एवं संरक्षण उपकरण तथा सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 की अनुसूची में, सामान्य प्रकाश सेवा हेतु सेल्फ बालास्टेड लैंप संबंधी क्रम संख्या 9 में कॉलम (2) के तहत मौजूदा प्रविष्टि के बाद के टिप्पण को हटा दिया जाए।

[फा. सं. 6(9)/2001-एलईआई]

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में, दिनांक 17 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या के का.आ. 189(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इसमें का.आ. 165(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2004, का.आ. 1172(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2005 तथा का.आ.512(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2009 के द्वारा संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

### ORDER

New Delhi, the 7th August, 2009

**S.O. 2058(E).**—In exercise of powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, in the Schedule, in serial number 9 relating to self ballasted lamps for general lighting services, after the existing entry under column (2), the Note shall be omitted.

[F. No. 6(9)/2001-LE-I]

RENU SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, and subsequently amended *vide* notification numbers S.O.165(E), dated the 5th February, 2004; S.O.1172(E), dated the 23rd August, 2005 and S.O. 512(E), dated, the 19th February, 2009.

2857 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
**EXTRAORDINARY**
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**
प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 2194] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2010/आश्विन 29, 1932
No. 2194] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2010/ASVINA 29, 1932**

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2010

**का.आ. 2604(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् विद्युत तार केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत तार, केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2010 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. विद्युत तार, केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 के खंड 3 के उप-खंड (1) के परंतुक में "और ऐसा कोई विनिर्देश किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 14(4)/2009-एलईआई]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र (असाधारण) में संख्यांक का.आ. 189(अ), तारीख 17 फरवरी, 2003 द्वारा जारी की गई और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचनाएं संख्यांक का.आ. 165(अ), तारीख 5 फरवरी, 2004, सं. का.आ. 1172(अ) तारीख 22 अगस्त, 2005, सं. का.आ. 512(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009 और सं. का.आ. 2058(अ), तारीख 7 अगस्त, 2009 द्वारा संशोधन किए गए ।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

### ORDER

New Delhi, the 19th October, 2010

**S.O. 2604(E).**—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, in the proviso to sub-clause (1) of Clause 3, the words "and such specification shall not in any case be less than the Specified Standard" shall be omitted.

[F. No. 14(4)/2009-LEI]

ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

**Note :**—The principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 165(E), dated the 5th February, 2004, S.O.1172(E), dated the 22nd August, 2005, S.O. 512(E), dated the 19th February, 2009 and S.O. 2058(E), dated the 7th August, 2009.

4102 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.